संख्या / XII /05/86(10)/05

प्रेषक

पी0के0महान्ति,
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभागः देहरादूनः दिनांक 13 जून , 2005

विषयः– प्रदेश की क्षेत्र पंचायतों को राज्य सरकार के स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले धन के वितरण और व्यय के सम्बन्ध में विचार किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्र पंचायतों को विकास कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 से प्रतिवर्ष रूपये 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) प्रति क्षेत्र पंचायत की दर से "क्षेत्र पंचायत विकास निधि" निम्न प्राविधानों के अन्तर्गत बनाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. प्रत्येक क्षेत्र पंचायत को 25 लाख रूपये प्रतिवर्ष क्षेत्रीय विकास के असन्तुलन को दूर करने के लिय प्रदान किये जायेगें। इसे "क्षेत्र पंचायत विकास निधि" के नाम से जाना जायेगा।
2. क्षेत्र पंचायत विकास निधि का खाता पृथक से खण्ड विकास अधिकारी के पदनाम से खोला जायेगा।
3. क्षेत्र पंचायत विकास निधि की धनराशि समस्त सार्वजनिक उपयोगिता के विकास कार्यो पर व्यय की जायेगी।
4. क्षेत्र पंचायत विकास निधि में उपलब्ध धनराशि समस्त क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को समान रूप से स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत विकास कार्यो के लिये विभाजित की जायेगी।
5. क्षेत्र पंचायत विकास निधि के आहरण वितरण का अधिकार खण्ड विकास अधिकारी को होगा तथा खण्ड विकास अधिकारी, सदस्य क्षेत्र पंचायत की संस्तुति पर विकास कार्यो हेतु धनराशि निर्गत करेगा।
6. उक्त धनराशि से निर्मित विकास कार्यो के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा निर्धारित प्रारूप कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।
7. एक से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा परस्पर संयुक्त उपयोगिता के वृहत् निर्माण कार्य भी संयुक्त रूप से किये जा सकते है । कोई भी सदस्य अपने पूर्ण कार्यकाल के लिये एक ही योजना पर सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर सकते हैं। किसी भी सदस्य का पद रिक्त होने पर पूर्व से प्रचलित योजना प्रभावित नहीं होगी तथा योजना के लिये पूर्व से स्वीकृत धनराशि अस्वीकृत नहीं की जायेगी और न ही योजना परिवर्तित की जायेगा।

8. क्षेत्र पंचायत विकास निधि द्वारा निर्मित कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा किये जायेगें तथा सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा निरीक्षण,पर्यवेक्षण का कार्य किया जायेगा।

कृपया, उपरोक्तानुसार "क्षेत्र पंचायत विकास निधि" के संचालन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0के0महान्ति)
सचिव

संख्या 489 / XII /05/86(10)/05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं।
4. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरांचल
8. समस्त प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, उत्तरांचल द्वारा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
9. नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
10. वित्त विभाग-2 उत्तरांचल शासन।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
12. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव